सम्मन प्रकरण/ स्पीड पोस्ट/रजिस्टर्ड

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश

कार्यालय अपर पुलिस महानिदेशक, मानवाधिकार, उ0प्र0, पुलिस रेडियो मुख्यालय, महानगर, लखनऊ– 226006।
फोन 91–522–2337555, सीयूजी 91–9454400120 फैक्स 91–522–2337329 ई मेल : humanrightshq@up.nic.in web : www.uppolice.up.nic.in

पत्र संख्याःडीजी–माप्र0–मथुरा–306/2014 दिनांकःलखनऊ जुलाई 31, 2014

सेवा में,

ए0के0पारासर,
संयुक्त निबन्धक विधि
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग,
ब्लॉक–सी, जी0पी0ओ0 कॉम्पलेक्स,
आईएनए, नई दिल्ली, 110001

महोदय

कृपया आवेदक श्री हीरा सिंह निवासी जनपद मथुरा की शिकायत् के प्रकरण की जांच कराकर जांच आख्या आयोग को उपलब्ध कराये जाने विषयक **आयोग के सम्मन केस संख्या–7162/24/52/2014** दिनांक 04.07.2014 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2– प्रश्नगत प्रकरण में अवगत् कराना है कि आवेदक हीरा सिंह की शिकायत के प्रकरण में इस मुख्यालय के निर्देशानुसार जांच आख्या वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मथुरा के पत्रसंख्या–एसटी–माप्र–87/2014 दिनांक 16.07.2014 द्वारा माननीय आयोग को प्रेषित की जा चुकी है, जो स्वतः स्पष्ट है तथा जिसकी छाया प्रति संलग्न है।

3– निदेशानुसार प्रकरण में किसी अन्य सूचना/आख्या की आवश्यकता हो तो कृपया अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नकःयथोपरि।

N.H.R.C.
C.R. UNIT
12 AUG 2014
133256
Dy No

(विजय भूषण)
पुलिस अधीक्षक(मानवाधिकार)
उत्तर प्रदेश।

SCANNED

कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद मथुरा
पत्रांकः एस0टी0मा0प्र0–87 / 2014 दिनांक जुलाई 23 2014

सेवा में,

पुलिस अधीक्षक (मानवाधिकार)
मुख्यालय पुलिस महानिदेशक
उ0प्र0 लखनऊ।

कृपया आप अपने पत्र सं0 डीजी–माप्र–मथुरा–मथुरा–306 / 2014 दि0 26 मई का सन्दर्भ ग्रहण करने की कृपा करें, जो श्री हीरासिंह पुत्र रतनसिंह निवासी बल्टीगढ़ी थाना बल्देव जनपद मथुरा के शिकायती प्रा0पत्र की जॉच कर जॉच आख्या उपलब्ध कराये जाने विषयक है।

उपरोक्त सन्दर्भित प्रकरण में सादर अवगत कराना है कि आवेदक श्री हीरासिंह पुत्र रतनसिंह के शिकायती प्रा0पत्र की जॉच आख्या इस कार्यालय के पत्र सं0 एसटी मा0प्र0 87 / 2014 दि0 16.07.2014 के माध्यम से सहायक निबन्धक (विधि)राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग मानव अधिकार भवन ब्लॉक सी,जीपीओ कॉम्पलैक्स आईएनए नई दिल्ली को उनके कैस सं0 7162 / 24 / 52 / 2014 दि0 16.07.2014 के सन्दर्भ में प्रेषित की जा चुकी है। जिसकी प्रति आपके उपरोक्त पत्र के सन्दर्भ में प्रेषित की गयी है। जिसकी छायाप्रति पुनः संलग्न कर सुलभ सन्दर्भ हेतु सादर सेवा में प्रेषित है।

आख्या अवलोकनार्थ सादर सेवा में प्रेषित है।

संलग्नः– यथोक्त

23/7/14

पुलिस अधीक्षक ग्रामीण
नोडल अधिकारी मानवाधिकार
मथुरा

कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद मथुरा

पत्रांक:एस0टी0–मा0प्र0 87 / 2014 दिनांक:जुलाई, 16 2014

सेवा में,

सहायक निबन्धक (विधि)
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग
मानव अधिकार भवन
ब्लॉक ,सी ,जी.पी.ओ.कॉम्पलेक्स आईएनए
नई दिल्ली –1

कृपया आप अपने कैस स0 7162 / 24 / 52 / 2014 दिनॉक: 16.05.2014 का सन्दर्भ ग्रहण करने की कृपा करें, जिसके साथ श्री हीरासिंह पुत्र रतनसिंह निवासी बल्टीगढी थाना बल्देव जनपद मथुरा के शिकायती प्रा0 पत्र की जॉच कर आख्या उपलब्ध कराये जाने विषयक है।

आरोप:

आवेदक ने अपने शिकायती प्रा0 पत्र में आरोप अंकित किये है,कि दर्ज रिपोर्ट कर कार्यवाही करने बाबत व रेल पीड़िता मॉ व बेटी को कोर्ट में चल रहे मामले में पैरोकारी से रोकने के लिये जान से मारने की नियत से हमला किया गया जिसमें मॉ मरणासन्न अवस्था में घायल आदि के सम्बन्ध मे है।

आख्या: उक्त प्रकरण की जॉच क्षेत्राधिकारी महावन मथुरा द्वारा करायी गयी जिनसे प्राप्त आख्या अवलोकनार्थ संलग्न है,जिसके परिशीलन से पाया हैं कि आवेदक श्री तारासिंह पुत्र हीरासिंह निवासी मीरपुर थाना सादाबाद हाथरस ने थाना जमुनापार पर दि0 06.02.14 को उपस्थित होकर सूचना अंकित करायी कि अभियुक्तों द्वारा षडयंत्र के तहत वादी की पुत्री विजया देवी व धेवती कु0 पूजा न्यायालय जाते समय गोली मार देना अस्पताल ले जाते समय पूजा की मृत्यु हो जाना, श्रीमती विजयादेवी गम्भीर रुप से घायल होने की सूचना के आधार पर मु0अ0स031 / 2014 धारा 147 / 148 / 149 / 307 / 302 / 120बी भादवि बनाम गोविन्दानन्द, बेरागस्वरूप व नरेन्द्र श्रीवास्तव के विरुद्व पंजीकृत कराया गया था, जिसकी विवेचना श्री पंकज राय थानाध्यक्ष जमुनापार द्वारा ग्रहण कर सम्पादित की गयी। विवेचना के मध्य नामजद अभियुक्त नरेन्द्र श्री वास्तव को दि0 08.02.14 को गिरफतार कर जेल भेजा गया था। विवेचना से पाया कि मु0अ0सं0 170 / 12 धारा 392 / 365 / 344 / 328 / 364ए / 411 / 120बी भादवि थाना वृन्दावन के अभियुक्त हीरासिंह पुत्र रतनसिंह निवासी बल्टीगरी बल्देव, श्याम बीर पुत्र चन्दनसिंह निवासी लोरियापटठी थाना मगोर्रा मथुरा जेल में निरुद्व है। अभियुक्त हीरासिंह ने इस अभियोग में राजीनामा करने श्री गोविन्दानन्द पर दवाव बनाने कि लिये अपनी पत्नी विजय देवी व दत्तक पुत्री कु0 पूजा को दि0 6.02.14 को षणयन्त्र के तहत न्यायालय मथुरा जाते समय करीब 10 बजे घटना कारित करादी। विवेचना से अभियुक्त गोविन्दा पुत्र तारासिंह निवासी मीरपुर थाना सादाबाद हाथरस अरविन्द उर्फ अमरपाल पुत्र बाबूलाल, धाधूपहलवान पुत्र हरदम सिंह, रविन्द्र उर्फ रब्बो पुत्र बाबूलाल निवासीगण सेलखेड़ा बल्देव, हीरा पुत्र रतनसिंह निवासी बल्टीकरी थाना बल्देव, श्यामबीर पुत्र चन्दनसिंह निवासी लोरियापटटी मगोर्रा मथुरा, विजय पत्नी हीरासिंह निवासी बल्टीकरी प्रकाश में आये। विवेचना के मध्य पाये गये साक्ष्य के आधार पर नामजद सभी अभियुक्त की नामजदगी गलत पाये जाने पर अभियुक्त नरेन्द्र श्रीवास्तव को धारा 169सीआरपीसी की कार्यवाही न्यायालय द्वारा कराते हुये जिला जेल मे रिहा कराया गया, एव अभियुक्त धाधू द्वारा दि0 30.04.2014 को न्यायालय आत्म समपर्ण किया गया है। सभी प्रकाश में आये अभियुक्तगण गिरफतार व हाजिर होकर जेल में निरुद्व है। प्रकाश मे आये सभी अभियुक्तों के विरूद्व धारा 147 / 148 / 149 / 307 / 302 / 120बी भादवि की साक्ष्य उपलब्ध होने पर आरोप पत्र सं0 54 दि0 08.05.2014 को न्यायालय प्रेषित किया गया है। पुलिस के स्तर पर कोई कार्यवाही शेष नही है।

आख्या अवलोकनार्थ सादर सेवा मे प्रेषित है!

16/7/14

पुलिस अधीक्षक ग्रामीण
नोड़ल अधिकारी मानवाधिकार
मथुरा।

संलग्न: :यथोक्त।

प्रतिलिपि: अपर पुलिस महानिदेशक (मानवाधिकार) मुख्यालय पुलिस महानिदेशक कार्यालय दूरसंचार, लखनऊ उ0प्र0 को सादर सूचनार्थ।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक,
मथुरा।

कृपया आप अपने पत्रांकःएसटी-मा0प्र0 87/2014 दिनांक 19.04.2014 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करे, जो आवेदक श्री हीरासिंह पुत्र श्री रतन सिंह निवासी जिला जेल मथुरा के शिकायती प्रार्थना पत्र पर जांच व वैधानिक कार्यवाही कर आख्या प्रेषित करने विषयक है।

आरोपः-

आवेदक ने मुख्यतः अपने शिकायती प्रार्थना पत्र में अंकित किया गया है कि दर्ज रिपोर्ट पर कार्यवाही करने वावत व रेप पीडिता माँ व बेटी को कोर्ट में चल रहे मामले में पैरोकारी से रोकने के लिए जान से मारने की नियत से हमला किया गया। जिसमें माँ मरणासन्न अवस्था में घायल व बेटी की मौके पर मौत आदि ।

जांच आख्याः-

प्रकरण की जांच के मध्य आवेदक की जानकारी की गयी तो जेल में है।

अभिलेखीय साक्ष्यः-

कार्यालय में उपलब्ध अभिलेखों के अवलोकन से पाया गया है कि वादी श्री तारासिंह पुत्र श्री हीरालाल निवासी मीरपुर थाना सादावाद ने थाना जमुनापार मथुरा पर दिनांक 6.2.14 को लिखित सूचना अंकितकरायी कि दिनांक 6.2.14 को विजयदेवी व पूजा न्यायालय में तारीख पर जा रही थी। प्रीतिविहार कालौनी के निकलते ही बाबा बैराग स्वरूप जो गोविन्दानन्द का चेला चारपहिया सफेद रंग की कार से आये तथा इनके साथ 3-4 आदमी दो मोटर साइकिलों से आये । गाडी में बाबा के साथ बैराग स्वरूप के साथ नरेन्द्र श्रीवास्तव भी बैठा था। जो आश्रम में ही रहता है समय करीब 1.00 बजे सभी ने हाथ में लिए हथियारों से विजय और पूजा को गोली मारदी । जिसमें दोनों गम्भीर रूप से घायल हो गयी। अस्पताल ले जाते समय रास्ते में पूजा की मृत्यु हो गयी। विजय को अस्पताल में भर्ती कराया गया।घटना को वादी के लडके गोविन्द व राजू पुत्र श्री अतर सिंह निवासी झण्डीपुर थाना ने देखा है। जो विजया के साथ साथ पीछे पीछे जा रहे थे। शोर सराबा पर मोहल्ले के लोग इकट्ठे हो गये । और तमन्चा लहराते हुए बदमाश भाग गये इस सूचना पर थाना जमुनापार मथुरा पर मु0अ0स0 31/14धारा 147,148,149,307,302,120बीभा0द0वि0 बनाम गोविन्द पुत्र नामालूम निवासी ओंकार आश्रम सेवा मंगलम संस्थान परिकृमा मार्ग वृन्दावन 2-बैराग स्वरूप पुत्र नामालूम चेला गोविन्दानन्द ,नरेन्द्र श्री वास्तव व तीन चार व्यक्ति अज्ञात के विरूद्ध पंजीकृत किया गया है। उक्त अभियोग की विवेचना थाना जमुनापार द्वारा सम्पादित की जा गयी । नामजद नरेन्द्र श्रीवास्तव को दिनांक 8.2.14 को गिरफतार कर जेल भेजा गया था।

अभियुक्त नरेन्द्र द्वारा जुर्म से इंकार करते हुए बताया कि मै बाबा गोविन्दानन्द का मुनीम हूं पिछली तारीख पर विजया का पति हीरासिंह जो जिला जेल में है। तलबी पर न्यायालय में आया था उस समय दो व्यक्ति मोटर साइकिल पर आये थे। जिन्होंने हीरा सिंह से बात की ,हीरा सिंह ने विजया देवी ,कु0 पूजा की तरफ इशारा करके दोनो की पहचान बताई । दिनांक 6.2.14 को कु0

पूजा व श्रीमती विजय के न्यायालय आते समय प्रीति विहार कालौनी लक्ष्मीनगर थाना जमुनापार पर समय 10 बजे उन्हीं दो लोगों ने जो पिछली तारीख पर हीरासिंह से मिले थे गोली चलायी जिससे पूजा की होस्पीटल ले जाते समय मृत्यु हो गयी,श्रीं मती विजय घायल हो गयी थी घटना की सन्दिग्धता प्रतीत होने पर थाना बृन्दावन पर पंजीकृत मु0अ0स0 170/12 धारा 392,365,344,328,364ए,411,120बी के अभियुक्त कलुआ पुत्र भुजवल जो जमानत पर है ने अपने बयान में अंकित कराया कि बाबा गोविन्दानन्द ने हीरा सिंह ,श्यामवीर ,गोविन्दा ,अरविन्द उर्फ अमरपाल को अभियुक्त बनया था।बाबा गोविन्दानन्द पर दबाव बनाने एवं मुकददमा वापस लेने हेतु हीरा सिंह द्वारा षणयंत्र के तहत विजया व पूजा पर गोली चलवाकर अपराध कारित किया गया है । विवेचनात्मक कार्यवाही के मध्य अभियुक्त गोविन्दा पुत्र तारा सिंह ,अरविन्द्र उर्फ अमर पाल पुत्र बाबूलाल को मु0अ0स0 31/14 उपरोक्त में प्रकाश में आने पर दिनांक 15.2.14 को गिरफ्तार किया गया। जिन्होंने जुर्म इकवाल करते हुए अपने बयान में घटना में धाधू पहलवान पुत्र हरचरन सिंह ,रविन्द्र उर्फ रब्बो को सामिल होना एवं घटना कारित करने के लिए 3लाख रूपये लेने की बात स्वीकारी। पूर्व में गिरफ्तार अभियुक्त नरेन्द्र श्रीवास्तव की घटना में संलिप्तता न पाये जाने पर दिनांक 18.2.14 को मा0 न्यायालय में 169सीआरपीसी की कार्यवाही कराकर जिला जेल से रिहा कराया गया, एवं प्रकाश में आये अभियुक्त रवेन्द्र उर्फ रब्बो द्वारा दिनांक 21.2.14 को न्यायालय में आत्म समर्पण किया गया है। अभियुक्त श्यामवीर व हीरा पूर्व से जेल में निरूद्ध हैं । जिनका वारन्ट दिनांक 24.2.14 को मा0 न्यायालय से प्राप्त कर जिला जेल मथुरा में दाखिल किया जा चुका है। अभियुक्त धाधू पहलवान दिनांक 30.4.14 को न्यायालय हाजिर होकर जेल गया है। मजरूबा विजया भी अपराध कारित कराने में प्रकाश में आने पर दिनांक 24.2.14 को गिरफ्तार कर जेल भेजी गयी है।

निष्कर्ष:-

अब तक की जॉच व उपलब्ध अभिलेखो/एसआर पत्रावली के अवलोकन से पाया गया कि आवेदक/वादी श्री तारासिंह पुत्र हीरालाल निवासी मीरपुर थाना सादाबाद हाथरस ने थाना जमुनापार पर दिनांक 6-2-14 को उपस्थित होकर सूचना अंकित करायी कि अभियुक्तों द्वारा षडयंत्र के तहत वादी की पुत्री विजया देवी व धेवती कु0 पूजा न्यायालय जाते समय गोली मार देना अस्पताल ले जाते समय पूजा की मृत्यु हो जाना श्रीमती विजयादेवी गम्भीर रूप से घायल होने की सूचना के आधार पर मु0अ0स0 31/14 धारा 147/148/149/307/302/120भादवि ,बनाम गोविन्दानन्द, वैरागस्वरूप व नरेन्द्र श्रीवास्तव के विरूद्ध पंजीकृत कराया गया था जिसकी विवेचना श्री पंकज राय थानाध्यक्ष जमुनापार द्वारा ग्रहण कर संपादित की गयी।विवेचना के मध्य नाम जद अभियुक्त नरेन्द्र श्रीवास्तव को दिनांक 9.2.14 को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। विवेचना से पाया गया कि मु0अ0स0 170/12 धारा 392,365,344,328,364ए,411,120बी थाना बृन्दावन के अभियुक्त हीरासिंह पुत्र रतन सिंह निवासी बाल्टीकरी बल्देव ,श्यामवीर पुत्र चन्दन सिंह निवासी लोरियापट्टी थाना सुरीर मथुरा जेल में निरूद्ध है। अभियुक्त हीरा सिंह ने इस अभियोग में राजीनामा करने श्री गोविन्दानन्द पर दबाव बनाने के लिए अपनी पत्नी विजय देवी व दत्तक पुत्री कु0 पूजा को दिनांक 6.2.14 को षणयन्त्र के तहत न्यायालय

मथुरा जाते समय करीब 10वजे घटना कारित करादी। । विवेचना से अभियुक्त गोविन्दा पुत्र तारासिंह निवासी मीरपुर थाना सादाबाद हाथरस,अरविन्द्र उर्फ अमरपाल पुत्र बाबूलाल ,धाधूपहलवान पुत्र हरदा सिंह,रविन्द्र उर्फ रब्बो पुत्र बाबूलाल निवासीगण सेलखेड़ा बल्देव ,हीरा पुत्र रतन सिंह निवासी बल्टोकरी थाना बल्देव ,श्यामबीर पुत्र चन्दनसिंह निवासी लोरिया पटटी मुर्गरा मथुरा ,विजया पत्नी हीरासिंह निवासी बल्टोकरी प्रकाश में आये। विवेचना के मध्य पाये गये साक्ष के आधार पर नामजद सभी अभियुक्त की नामजदगी गलत पाये जाने पर अभियुक्त नरेन्द्र श्रीवास्तव को धारा 169सीआरपीसी की कार्यवाही न्यायालय द्वारा कराते हुए जिला जेल से रिहा कराया गया, एवं अभियुक्त धाधू द्वारा दिनांक 30.4.14 को न्यायालय आत्म समर्पण किया गया है। सभी प्रकाश में आये अभियुक्त गण गिरफतार व हाजिर होकर जेल में निरूद्ध है।प्रकाश मे आये सभी अभियुक्तों के विरूद्ध धारा 147,148,149,307,302,120बी की साक्ष उपलब्ध होने पर आरोप पत्र संख्या: 54 दिनांक 8.5.14 को न्यायालय प्रेषित किया गया है। पुलिस के स्तर पर कोई कार्यवाही शेष नही है।

आख्या अवलोकनार्थ सादर प्रेषित है।

15/7/14

(राजेन्द्र प्रसाद यादव)
क्षेत्राधिकारी महावन
मथुरा

पत्रांक: सीओएम-म0आ0-24/14
दिनांक: जुलाई 15, 2014